

12
27/10/21

अज अदालत फद अहकाम (नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
रणजीत सिंह बनाम सरकार
किसम गुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 113 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
27.10.21	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>समेजा कोठी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/284 दिनांक <u>27.10.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>श्यामगढ़</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>62 N.P.</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>57</u> में</p> <p><u>रणजीत राम पुत्र देवारांम कैम्प जाट</u> <u>साठ श्यामगढ़ खेतदार</u> के स्थान पर <u>रणजीत सिंह पुत्र देवारांम</u> <u>कैम्प जाट साठ श्यामगढ़ खेतदार</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंघा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>समेजा कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा के आधार पर चाके चक <u>62 N.P.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>57</u> में</p> <p><u>रणजीत राम पुत्र देवारांम कैम्प जाट</u> <u>साठ श्यामगढ़ खेतदार</u> के स्थान पर <u>रणजीतराम उर्फ रणजीत सिंह पुत्र देवारांम कैम्प जाट</u> <u>साठ श्यामगढ़ खेतदार</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया <u>रहनमुक्त होने पर इंडाज किया जाए</u></p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर